केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं.CICOM/R/2017/00953 **दिनांक. 02.08.2017**

सेवा में,

श्री रमेश बंशकार,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 25.07.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 31.07.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 152845) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 01.08.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

यदि केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश का अनुपालन संबंधित विभाग/कार्यालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश सं. का उल्लेख करते हुए आदेश का अनुपालन हेतु आयोग को पत्र लिखा जा सकता है, इसके लिए आयोग में नॉन-कम्पलाईस सेल भी बना हुआ है । आयोग में प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है । उल्लेखनीय है कि आयोग में अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होती है अर्थात जो अपील या शिकायत संबंधित सूचना आयुक्त के समक्ष पहले आई है उसकी सुनवाई पहले की जाएगी ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त कांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066, दूरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल